संख्या–01(बी)/सं0वि0क0नि0–6/2017
फसली ऋण प्रकोष्ठ

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
2– महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, लखनऊ।

संस्थागत वित्त (कर एवं निबंधन) अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 9/5 ~~15 अप्रैल~~, 2017

विषय : प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के "फसली ऋण माफी योजना" के कियान्वयन हेतु कन्सल्टेण्ट का चयन।

महोदय,

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफी की योजना के कियान्वयन हेतु प्रथम चरण में अधोलिखित कार्यवाहियां की जानी हैं :–

(i) राज्य सरकार की नीतियों, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग प्रकियाओं के अनुसार फसली ऋण माफी योजना के कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किया जाना।

(ii) योजना को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करना।

(iii) ऋण माफी योजना में राज्य सरकार पर आने वाली कुल देयता का आकलन।

(iv) पात्र किसानों का डेटाबेस, वेब आधारित पोर्टल पर रखे जाने के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श दिया जाना।

(v) आँकड़ों का नमूना ऑडिट एवं किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को समाप्त करने हेतु आवश्यक "चेक्स एण्ड बैलेन्सेज" को चिन्हित करना तथा उन्हें योजना में सम्मिलित करना।

(vi) अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाय।

3– उक्त कार्य तकनीकी प्रकृति के हैं जिन्हें समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से पूरा किया जाना है। इस हेतु किसी सुयोग्य एवं ख्याति प्राप्त फर्म को, कन्सल्टेन्ट के रूप में अनुबंधित किये जाने की आवश्यकता है। कृपया किसी सुयोग्य कन्सल्टिंग फर्म को समस्त संगत नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुये ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खुली निविदा द्वारा चयनित कर अनुबंधित करते हुये अपना प्रस्ताव यथाशीघ्र संस्थागत वित्त निदेशालय, को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– उक्त कार्य से संबंधित भुगतान संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा बजट में आवश्यक प्रावधान कराकर किया जायेगा।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।